न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील पंचायत/ संख्या 01/2013 (2012/00065) जिला–नागौर

चन्द्राराम मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत डांगावास पंचायत समिति मेड़ता जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. जिला कलक्टर, नागौर
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति मेड़ता जिला नागौर।
3. सचिव, ग्राम पंचायत, डांगावास पंचायत समिति मेड़ता जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 97 क सपठित परिपत्र एफ–139 (19)
रा–डी–पी/एल.एण्ड.जे/95/3273/
दिनांक 26–10–1996 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, नागौर
क्रमांक जिपना/पंचायत/12/4080–4099 दिनांक 22–11–2012

————

उपस्थित– 1. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री सहदेव चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या– 2 व 3

निर्णय

दिनांकः– 07–06–2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति मेड़ता ने अपने पत्र क्रमांक 2472 दिनांक 20–11–2012 के द्वारा जिला कलक्टर नागौर को निर्माण कार्य निष्पादन करवाने हेतु समिति गठित करने की सिफारिश की। उक्त पत्र के आधार पर जिला कलक्टर, नागौर ने उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक जिपना/पंचायत/12 4080–4099 दिनांक 22–11–2012 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 33 (Xi) व ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 3:2:2 के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत डांगावास में निर्माण कार्य निष्पादन

करने हेतु समिति गठित कर दी। जिला कलक्टर नागौर के उक्त आदेश दिनांक 22–11–2012 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि जिला कलक्टर, नागौर ने विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने केवल विकास अधिकारी पंचायत समिति मेड़ता के पत्र दिनांक 20–11–2012 में वर्णित सिफारिश के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 32 के अन्तर्गत सरपंच को पंचायत का मुखिया माना गया है। पंचायत के विभिन्न विकास कार्यो एवं योजनाओं हेतु प्राप्त धनराशि का उपयोग करने व लेखा संधारित करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त अधिनियम के तहत विधायिका ने जो अधिकार सरपंच को प्रदत्त किये है उसे अन्य अधिकारियों/कमेटी को देने का अधिकार जिला कलक्टर का नहीं है। जिला कलक्टर, अधिनियम में दिये गये अधिकारों को कम नहीं कर सकते है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 33 में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों और सदस्यों की शक्तियों व कृत्यों का उल्लेख है। इन प्रावधानों के उप नियम (Xi) के तहत सरपंच पर यह दायित्व डाला गया है कि वह पंचायत निधियों के दुरूपयोग को रोकेगा। इन प्रावधानों में यह भी व्यवस्था है कि यदि सरपंच द्वारा आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया जाता है तो जिला कलक्टर ऐसे निधि के उपयोग हेतु समिति गठित कर सकते है जिला कलक्टर नागौर ने नियम 33 (Xi) में वर्णित इन प्रावधानों के तहत ही विवादित आदेश पारित किया है। सरपंच द्वारा आवंटित निधि का उपयोग नहीं किये जाने की स्थिति में निधि के उपयोग हेतु समिति गठित करने का अधिकार जिला कलक्टर को है। जिला कलक्टर नागौर ने जो विवादित आदेश पारित किया है वह निर्माण कार्य निष्पादित करवाने के लिए समिति गठित की है। निर्माण कार्य करवाने के लिए नियम 33 (Xi) के तहत समिति गठित करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं दिये गये है। इसलिए जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला कलक्टर नागौर नियम 33 (Xi) में दी गई शक्तियों का तब ही उपयोग कर सकता है जब सरपंच द्वारा आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया है। जिला कलक्टर ने अपने आदेश में इन तथ्यों का उल्लेख तक नहीं किया है कि सरपंच को ऐसी निधि के उपयोग के लिए कितना धन मिला और उसने इस धन में से कितना उपयोग किया और शेष कितना बचा। जब तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक समिति गठित किया जाना विधिविरूद्ध

था। अपीलार्थी ने आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया है तो उसके लिए सरपंच को स्थिति स्पष्ट करने हेतु पूछना चाहिए था। अपीलार्थी सरपंच का कार्य करने में सक्षम है तथा स्वस्थचित है और उसने कभी अपने दायित्वों को निभाने में आनाकानी नहीं की है। ऐसी स्थिति में निर्वाचित सरपंच के अधिकारों को कम करने का अधिकार जिला कलक्टर को नहीं है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर नागौर द्वारा जारी आदेश दिनांक 22–11–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या– 2 से 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत डांगावास द्वारा निर्माण कार्यो के प्रति रूचि नहीं रखने के कारण ग्राम पंचायत को आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं करने में असमर्थ प्रतीत होने के कारण पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 33 (Xi) के अनुसार विकास अधिकारी पंचायत समिति मेड़ता के पत्र क्रमांक 2472 दिनांक 20–11–2012 द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा आदेश दिनांक 22–11–2012 द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 33 (Xi) के अनुसार एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 3:2:2 के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत डांगावास के निर्माण कार्य के निष्पादन करवाने हेतु समिति का गठन किया गया जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत डांगावास के वार्डपंचों ने विकास कमेटी का गठन करने हेतु विकास अधिकारी को दिनांक 3–8–2012 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत डांगावास में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्य सरंपच द्वारा प्रारम्भ नहीं करवाने एवं सरपंच द्वारा निर्माण कार्यो के प्रति रूचि नहीं रखने के कारण ग्राम पंचायत को विकास कार्य हेतु आवंटित राशि का समय पर उपयोग नहीं हो पाने के कारण विकास अधिकारी, पंचायत समिति मेड़ता द्वारा ग्राम पंचायत डांगावास में पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 33 (Xi) के तहत जिला कलक्टर, नागौर को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 2472 दिनांक 20–11–2012 द्वारा कमेटी का गठन करने की अभिशंषा की थी। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा उक्त सभी तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 33 (Xi) एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 3:2:2 के तहत ग्राम पंचायत डांगावास के निर्माण कार्य निष्पादन करवाने हेतु उनके कार्यालय के आदेश क्रमांक 4080–4099 दिनांक 22–11–2012 द्वारा समिति का गठन किया गया जो न्यायहित में उचित प्रतीत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित आदेश क्रमांक जिपना/पंचायत/12/4080–4099 दिनांक 22–11–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर